न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 65 आर 15/07–08

गणेश प्रसाद साहु वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

लाल कच्छप वगैरह प्रतिवादी

आदेश

16/29.08.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 664/05–06 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 11.07.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
रॉंची	75	383	13 कट्ठा

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन आर एस प्लॉट नं0 383 एम एस प्लॉट नं0 1236 खतियान में मंगरा उरॉव के नाम दर्ज है। मंगरा उरॉव के पुत्र पुरन उरॉव ने एम एस खेसरा संख्या 1236 रकबा 17 कट्ठा जमीन निबंधित वसीका संख्या 920 दिनांक 5.2.1959 द्वारा शकुन्तला देवी को हस्तांतरित किया। विवादित जमीन छपरबंदी है एवं भुतपूर्व जमींदार लाल कंदर्पनाथ साहदेव द्वारा छपरबंदी रसीद भी निर्गत होता था। विक्रेता का नाम छपरबंदी रजिस्टर नं0 378 में दर्ज था। कंदर्पनाथ साहदेव की छपरबंदी जमींदारी का उन्मुलन 1961 में हुआ जब जमींदार माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना मुकदमा हार गये। इस प्रकार चुँकि यह छपरबंदी जमीन थी अतः इसके किसी गैरआदिवासी को हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं थी। बाद में शकुन्तला देवी ने विवादित जमीन में से 11 कट्ठा 16 वर्गफीट जगदीश प्रसाद जयसवाल को निबंधित वसीका संख्या 4669 दिनांक 14.7.1959 द्वारा हस्तांतरित किया। जगदीश प्रसाद जयसवाल ने इसे निबंधित वसीका संख्या 4947 दिनाक 3.8.1959 से शान्ति देवी को बिक्री किया। शान्ति देवी के नाम से रॉंची नगर निगम में 10.11.1959 को नामांतरण स्वीकृत हुआ। उनके नाम से 9.6.1964 को नक्शा भी स्वीकृत हुआ एवं

मकान का निर्माण भी किया गया। दिनांक 22.4.1967 को पानी का संयोजन भी प्राप्त किया गया। शान्ति देवी के नाम अंचल कार्यालय में भी नामांतरण स्वीकृत हुआ है एवं लगातार लगान रसीद निर्गत हो रहा है। वर्तमान अपीलकर्ता शान्ति देवी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी हैं। निम्न न्यायालय से अपीलकर्ता को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही वर्णन किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं किया गया। उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया। परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया।

अपीलकर्ता को वर्तमान अपीलीय न्यायालय में पर्याप्त मौके दिये गये परन्तु उनके द्वारा न तो 1959 का निबंधन दस्तावेज दिया गया और न चिन्तामणि ट्रस्ट द्वारा तथाकथित निर्गत मालगुजारी रसीद दिया गया।

शान्ति देवी पति शिवप्रसाद साहु का नाम 10.11.1959 को रॉची नगरपालिका में प्रविष्ट होने का भी दावा किया गया लेकिन वहॉ के नामांतरण आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी और न नगरपालिका का कोई रसीद जमा किया गया।

1967 में शान्ति देवी द्वारा ''वाटर वर्क्स कमिटि'' को जल संयोजन आवेदन देने की भी चर्चा की गई और यह दावा किया गया कि उन्हें जल संयोजन वाटर वर्क्स कार्यालय से मंजुर किया गया।

उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त बहस के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्व प्रशासन द्वारा 1959 से मालगुजारी वसूलने की बात कही गयी परन्तु अभिलेख में कोई रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया।

जहॉ तक निम्न न्यायालय द्वारा नोटिस तामिला का प्रश्न है, रामकुमार साहु, गणेश प्रसाद साहु, जितेन्द्र प्रसाद साहु, शशि कुमार साहु द्वारा स्वयं नोटिस 10.1.2006 और 15.1.2006 को प्राप्त किया गया जिसमें दिनांक 4.2.2006 को कारणपृच्छा दाखिल करने और प्रमाण पत्र देने का अवसर दिया गया। इसके बाद 2.3.06, 30.3.06, 24.4.06, 26.5.06, 1.6.06, 15.6.06, 10.7.06 को उन्हें अवसर दिये गये लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस तथ्य के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को निम्न न्यायालय द्वारा मौका नहीं दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ताओं को निम्न न्यायालय में आठ तिथियों पर कारणपृच्छा के अवसर प्रदान किये गये लेकिन

उनके द्वारा न कोई जवाब दिया गया और न ही कोई दस्तावेज। वर्तमान न्यायालय में भी उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं जमा किये जब कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये गये। दस प्रकारनिम्न न्यायालय का आदेश सही है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत किया जाता है।

अंचल अधिकारी, रॉची शहर को दखल देहानी हेतु आदेश भेजें।

दिनांकः— 29.08.2008

लेखापित उवं संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।